

[दि जम्मू एंड कश्मीर एप्रोप्रिएशन (नम्बर 4) बिल, 2020 का हिन्दी अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2020

वित्तीय वर्ष 2020-21 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर
संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय
राशियों के संदाय और विनियोग
को प्राधिकृत करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के इकहतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 4)
अधिनियम, 2020 है ।
- 5 2. जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से, अनुसूची के स्तंभ 3
में विनिर्दिष्ट वे राशियां, जिनका कुल योग बारह खरब, इकतीस अरब, सत्ताईस
करोड़, अठानवें लाख, चालीस हजार रुपए से अनधिक है, कतिपय प्रभारों को
चुकाने के लिए अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत, वित्तीय वर्ष
2020-21 के दौरान संदाय किए जाने होंगे ।
- 10 3. इस अधिनियम के अधीन जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि
में से दी जाने और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत वे राशियां, जो अनुसूची
में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए, उक्त वर्ष के संबंध में विनियोजित
की गई हैं ।

संक्षिप्त नाम ।

वित्तीय वर्ष 2020-21
के लिए जम्मू-कश्मीर
संघ राज्यक्षेत्र की
संचित निधि में से
12,31,27,98,40,000
रुपए का निकाला
जाना ।

विनियोग ।

अनुसूची
(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

अनुदान की मांग	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		संसद् द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित व्यय	कुल	
1	2	3			
		रु०	रु०	रु०	
1	साधारण प्रशासन विभाग	राजस्व पूंजी	5,15,32,85,000 2,88,11,86,000	24,44,51,000 ..	5,39,77,36,000 2,88,11,86,000
2	गृह विभाग	राजस्व पूंजी	81,04,06,68,000 11,11,45,30,000	81,04,06,68,000 11,11,45,30,000
3	योजना विभाग	राजस्व पूंजी	1,26,64,82,000 13,64,97,00,000	1,26,64,82,000 13,64,97,00,000
4	सूचना विभाग	राजस्व पूंजी	1,11,47,25,000 1,15,29,000	1,11,47,25,000 1,15,29,000
6	विद्युत विकास विभाग	राजस्व पूंजी	39,68,98,13,000 35,22,90,17,000	39,68,98,13,000 35,22,90,17,000
7	शिक्षा विभाग	राजस्व पूंजी	1,11,26,19,91,00,0 10,30,23,08,000	1,11,26,19,91,000 10,30,23,08,000
8	वित्त विभाग	राजस्व पूंजी	87,13,40,95,000 51,99,31,61,000	68,91,31,00,000 2,59,48,18,00,000	1,56,04,71,95,000 3,11,47,49,61,000
9	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व पूंजी	53,34,45,000 8,00,00,000	86,10,000 ..	54,20,55,000 8,00,00,000
10	विधि विभाग	राजस्व पूंजी	6,75,24,99,000 1,66,74,88,000	76,85,98,000 ..	7,52,10,97,000 1,66,74,88,000
11	उद्योग और वाणिज्य विभाग	राजस्व पूंजी	4,67,64,46,000 4,94,25,48,000	4,67,64,46,000 4,94,25,48,000
12	कृषि विभाग	राजस्व पूंजी	13,86,35,88,000 12,92,09,83,000	13,86,35,88,000 12,92,09,83,000
13	पशु और भेड़ पालन विभाग	राजस्व पूंजी	7,28,43,66,000 3,68,97,14,000	7,28,43,66,000 3,68,97,14,000
14	राजस्व विभाग	राजस्व पूंजी	7,15,70,36,000 12,45,00,000	7,15,70,36,000 12,45,00,000
15	खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता कार्य विभाग	राजस्व पूंजी	3,13,74,41,000 4,12,03,90,000	3,13,74,41,000 4,12,03,90,000
16	लोक निर्माण विभाग	राजस्व पूंजी	11,06,80,92,000 29,68,11,00,000	11,06,80,92,000 29,68,11,00,000
17	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	राजस्व पूंजी	49,00,70,34,000 12,67,63,29,000	49,00,70,34,000 12,67,63,29,000
18	समाज कल्याण विभाग	राजस्व पूंजी	20,22,69,02,000 2,93,89,31,000	20,22,69,02,000 2,93,89,31,000
19	आवास और शहरी विकास विभाग	राजस्व पूंजी	10,25,86,89,000 20,52,67,50,000	10,25,86,89,000 20,52,67,50,000

1	2	3			
		रु0	रु0	रु0	
20	पर्यटन विभाग	राजस्व	2,47,51,22,000	..	2,47,51,22,000
		पूंजी	5,76,62,00,000	..	5,76,62,00,000
21	वन विभाग	राजस्व	12,44,73,28,000	..	12,44,73,28,000
		पूंजी	10,60,71,61,000	..	10,60,71,61,000
22	सिंचाई विभाग	राजस्व	9,09,52,89,000	..	9,09,52,89,000
		पूंजी	15,59,82,89,000	..	15,59,82,89,000
23	लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग	राजस्व	18,88,40,13,000	..	18,88,40,13,000
		पूंजी	7,04,72,00,000	..	7,04,72,00,000
24	आतिथ्य और प्रोटोकॉल विभाग	राजस्व	2,97,36,44,000	..	2,97,36,44,000
		पूंजी	35,00,00,000	..	35,00,00,000
25	श्रम, लेखन सामग्री और मुद्रण विभाग	राजस्व	1,30,23,37,000	..	1,30,23,37,000
		पूंजी	58,07,80,000	..	58,07,80,000
26	मत्स्य विभाग	राजस्व	98,92,97,000	..	98,92,97,000
		पूंजी	91,99,25,000	..	91,99,25,000
27	उच्च शिक्षा विभाग	राजस्व	14,40,26,22,000	..	14,40,26,22,000
		पूंजी	13,62,01,41,000	..	13,62,01,41,000
28	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	9,54,67,69,000	..	9,54,67,69,000
		पूंजी	52,84,08,53,000	..	52,84,08,53,000
29	परिवहन विभाग	राजस्व	1,15,26,90,000	..	1,15,26,90,000
		पूंजी	1,88,00,00,000	..	1,88,00,00,000
30	जनजातीय कार्य विभाग	राजस्व	1,05,41,62,000	..	1,05,41,62,000
		पूंजी	1,62,57,75,000	..	1,62,57,75,000
31	संस्कृति विभाग	राजस्व	68,91,00,000	..	68,91,00,000
		पूंजी	1,29,37,80,000	..	1,29,37,80,000
32	उद्यान विभाग	राजस्व	2,10,18,72,000	..	2,10,18,72,000
		पूंजी	5,80,19,92,000	..	5,80,19,92,000
33	आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग	राजस्व	10,52,80,26,000	..	10,52,80,26,000
		पूंजी	4,51,56,61,000	..	4,51,56,61,000
34	युवा सेवा और तकनीकी शिक्षा	राजस्व	7,37,87,90,000	..	7,37,87,90,000
		पूंजी	2,52,66,39,000	..	2,52,66,39,000
35	विज्ञान और तकनीकी विभाग	राजस्व	18,24,33,000	..	18,24,33,000
		पूंजी	1,48,48,66,000	..	1,48,48,66,000
36	सहकारी विभाग	राजस्व	87,37,64,000	..	87,37,64,000
		पूंजी	15,00,00,000	..	15,00,00,000
कुल योग :			9,01,86,32,81,000	3,29,41,65,59,000	12,31,27,98,40,000

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, संविधान के अनुच्छेद 239 और अनुच्छेद 239क और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 74 के साथ पठित जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 73 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), का0आ0 3937(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 2019 को, तारीख 31 अक्टूबर, 2019 की उद्घोषणा के परिणामस्वरूप जारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), का0आ0 3938(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 2019 के अनुसरण में, तारीख 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक वित्तीय वर्ष 2020-21 के भाग के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि पर भारित व्यय और जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के व्यय के लिए किए गए अनुदानों को पूरा करने के लिए, अपेक्षित धनराशियों को, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए पुरःस्थापित किया गया है।

निर्मला सीतारामन